देवनानी की पत्नी के अंतिम संस्कार में मुख्यमंत्री सहित कई मंत्री पहुँचे

विभिन्न राजनीतिक दलों, प्रतिनिधियों के साथ हजारों की संख्या में जनता उपस्थित थी

अजमेर, 4 नवम्बर। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की धर्मपत्नी इंदिरा देवनानी का मंगलवार को अंतिम संस्कार कर दिया गया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सहित, राज्य सरकार के कई मंत्रियों ने अजमेर में देवनानी के निवास पर इंदिरा देवनानी को श्रद्धांजलि दी एवं शोक संतप्त परिवार को ढ ांढ स बंधाया। अंतिम संस्कार में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों सहित हजारों की संख्या में शहर के लोग उपस्थित थे।

विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की धर्मपत्नी इंदिरा देवनानी की पार्थिव देह आज अजमेर के ऋषि घाटी स्थित मुक्तिधाम में पंचतत्व में विलीन हुई। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी के पुत्र महेश ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पार्थिव देह को मुखाग्नि दी। इंदिरा देवनानी की पार्थिव देह मंगलवार सुबह आठ बजे जयपुर से अजमेर लाकर उनके निवास स्थान पर दर्शनार्थ रखी गई।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा व कई मंत्रियों ने मंगलवार को अजमेर में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी की धर्मपत्नी इंदिरा दवेनानी को श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया।

■ अंतिम संस्कार में अजमेर के विभिन्न राजनीतिक व सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी तथा विश्व हिन्दू परिषद व आरएसएस के पदाधिकारी भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने मंगलवार को अजमेर में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के घर पर इंदिरा दवेनानी की पार्थिव देह को पुष्पांजलि अर्पित की। केन्द्रीय कृषि राज्यमंत्री भागीरथ चौधरी, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, सहकारिता मंत्री गौतम दक, चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित कुमार गोदारा, ऊर्जा मंत्री हीरा लाल नागर, जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी, जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के राज्यमंत्री के.के. बिश्नोई, मुख्य सचेतक एवं पूर्व मंत्री जोगेश्वर गर्ग, राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी, किसान आयोग के अध्यक्ष सी.आर. चौधरी, देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओमप्रकाश भडाणा, राजस्थान धरोहर संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत, विधायक मसूदा वीरेंद्र सिंह कानावत, भीलवाड़ा विधायक अशोक कोठारी, जयपुर विधायक गोपाल शर्मा, ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत, भंवर सिंह पलाड़ा श्रद्धांजलि देने के लिए अजमेर पहुंचे।

श्रद्धांजलि देने वालों में अजमेर डेयरी के अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी, दीनबंधु चौधरी, आरटीडीसी के पूर्व अध्यक्ष धर्मेन्द्र सिंह राठौड़, पूर्व विधायक किशन सोनगरा, पूर्व विधायक डॉ. श्रीगोपाल बाहेती, किशनगढ के पूर्व विधायक सुरेश टांक, किसान मोर्चा अध्यक्ष हरिराम रिणवा, मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जी आर मूलचंदानी, जिला अध्यक्ष रमेश सोनी, देहात अध्यक्ष जीतमल प्रजापत, नागौर जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह, जिलाध्यक्ष जालौर श्रवण सिंह राव, महेंद्र सिंह रलावता, विजय जैन, पूर्व जिला अध्यक्ष अरविंद यादव, पूर्व सभापति सुरेन्द्र सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा, एडीए के पूर्व अध्यक्ष शिव शंकर हेड़ा, पूर्व जिला प्रमुख पुखराज पहाडिय़ा, पूर्व कुलपति बी.एल. छीपा, विश्व हिंदू परिषद के प्रांत संगठन मंत्री शशि प्रकाश इंदौरिया, प्रांत संघ चालक जगदीश राणा, प्रचारक राजेन्द्र सिंह एवं गोविंद, जिला संघ संचालक खाजू लाल चौहान सहित, संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़, महानिरीक्षक पुलिस राजेन्द्र सिंह, जिला कलेक्टर लोकबंधु भी शामिल थे।

एसआईआर के खिलाफ सड़क पर उतरीं ममता बनर्जी

बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया की शुरूआत के पहले दिन ही तृणमूल ने मार्च निकाला

कोलकाता, 4 नवंबर। बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) के विरोध में तृणमूल कांग्रेस ने कोलकाता में मंगलवार को एक रैली निकाली। मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने पार्टी नेताओं व मंत्रियों के साथ कोलकाता में सड़क पर उतरकर एक विशाल विरोध मार्च का नेतृत्व किया।

इस मार्च में तृणमूल के राष्ट्रीय महासचिव व ममता के सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी भी शामिल हुए। करीब चार किलोमीटर लंबा यह पैदल मार्च कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड से शुरू होकर जोड़ासांकों ठाकुरबाड़ी (रवींद्रनाथ टैगोर के पैतृक आवास) के पास समाप्त हुआ, जिसमें हजारों तृणमूल कार्यकर्ता व समर्थक हाथों में एसआइआर के विरुद्ध पोस्टर और बैनर लेकर शामिल हुए।

दूसरी ओर बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता व भाजपा विधायक सुवेंदु अधिकारी ने एसआइआर के समर्थन और इसके माध्यम से घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने की मांग को लेकर कोलकाता से लगे उत्तर 24 परगना जिले के पानीहाटी में जुलूस का नेतृत्व किया।

इसी के साथ, तृणमूल कांग्रेस पर हुगली जिले के सिंगुर में भाजपा द्वारा एसआइआर के समर्थन में आयोजित एक सभा पर हमले का आरोप लगा है। आरोप है कि सभा में शामिल भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई।

■ इधर सिंगूर में भाजपा द्वारा एसआईआर के समर्थन में आयोजित एक सभा पर कथित रूप से तृणमूल के लोगों ने हमला कर दिया, हालांकि तृणमूल ने इन आरोपों का खंडन किया है।

इसमें कई कार्यकर्ता घायल हो गए। हालांकि, सत्तारूढ़ दल ने भाजपा के आरोपों का खंडन किया है।

पैदल मार्च के समापन के बाद सभा को संबोधित करते हुए ममता व अभिषेक ने एसआइआर को लेकर भाजपा व केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। ममता ने कहा कि चुनाव आयोग की मिलीभगत से भाजपा लोगों का लोकतांत्रिक अधिकार छीनना चाहती है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मैं जान दे दूंगी, लेकिन किसी का भी अधिकार छीनने नहीं दूंगी। उन्होंने फिर चेतावनी दीकि एक भी वैध मतदाता का नाम कटने पर दिल्ली जाकर बड़ा आंदोलन व घेराव किया जाएगा। ममता ने कहा कि लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए सड़क से लेकर अदालत तक लड़ाई जारी रहेगी।

ममता ने कहा कि भाजपा मतदाता सूची में गड़बड़ी व फर्जी लोगों के नाम शामिल होने की बात करती है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह का नाम लिए बिना उन्होंने सवाल किया कि अगर ऐसा है तो आप इतने सालों से किस वोटर लिस्ट से जीतते आए हैं और केंद्र व कई राज्यों की सत्ता में हैं? अगर ये लिस्ट झूठी है, तो आपकी सरकार भी झूठी है, आपका पद भी झूठ है। उन्होंने कहा कि दिखाने के लिए मोदी हर साल कुछ न कुछ कर रहे हैं। एक बार उन्होंने नोटबंदी की। आज हमें बताइए, क्या आप काला धन वापस लाए? कितना काला धन वापस आया?

वहीं, नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने ममता व तृणमूल पर एसआइआर को लेकर भय पैदा करने का आरोप लगाया। उन्होंने एसआइआर के कथित डर से कुछ लोगों द्वारा आत्महत्या किए जाने के लिए ममता को जिम्मेदार ठहराया।

जद (यू) ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अनंत सिंह, जिनके खिलाफ पहले ही 28 आपराधिक मामले दर्ज हैं, अब गैंगस्टर से राजनेता बने दुलार सिंह यादव की हत्या के आरोपी के रूप में नामजद किए गए हैं। यादव मोकामा में जन सूराज के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी के लिए प्रचार कर रहे थे, लेकिन पार्टी के नेता प्रशांत किशोर ने इस बात का खंडन किया कि दुलार सिंह यादव जन सूराज से जुड़े थे।

सुप्रीम कोर्ट ने धर्मान्तरण कानून पर राजस्थान सरकार को नोटिस भेजा

अधिवक्ता हुजैफा अहमदी और वरिष्ठ मानवाधिकार कार्यकर्ता जॉन दयाल की याचिका पर नोटिस जारी किए गए हैं

नयी दिल्ली, 04 नवंबर। उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2025 के कई प्रावधानों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया।

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने अधिवक्ता एवं शोधकर्ता एम. हुजैफा और वरिष्ठ मानवाधिकार कार्यकर्ता जॉन दयाल की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया।

एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड यशवंत सिंह के माध्यम से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि ये प्रावधान मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हैं और दंडात्मक विध्वंस और सामूहिक दंड के समान हैं। याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता अभय महादेव थिप्से ने किया।

न्यायालय ने इस मामले को एक अन्य लंबित जनहित याचिका, दशरथ कुमार हिनूनिया बनाम राजस्थान राज्य, के साथ संलग्न कर दिया, जिस पर वरिष्ठ अधिवक्ता हुज़ेफ़ा अहमदी ने तर्क दिया था, जिसमें पहले नोटिस और

■ याचिका में आरोप लगाया गया है कि देश के विभिन्न राज्यों में जो धर्मान्तरण कानून बने हैं उनमें राजस्थान का कानून सर्वाधिक गंभीर है।

स्थगन आवेदन जारी किए गए थे।

सुनवाई के दौरान पीठ ने सवाल किया कि याचिका राजस्थान उच्च न्यायालय में क्यों नहीं दायर की गई।

जवाब में अहमदी ने दलील दी कि अन्य राज्यों के धर्मांतरण विरोधी कानूनों को चुनौती देने वाली इसी तरह की याचिकाएँ पहले से ही शीर्ष न्यायालय में लंबित हैं, और संबंधित मामले इसी न्यायालय में स्थानांतरित कर दिए गए हैं। उन्होंने राजस्थान के कानून को सभी राज्य धर्मांतरण विरोधी कानूनों में "सबसे गंभीर" बताते हुए कहा कि इस कानून में सामूहिक धर्मांतरण (दो से अधिक व्यक्तियों के धर्मांतरण के रूप में परिभाषित) के लिए 20 लाख रुपये तक के जुर्माने और 20 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है।

याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि ये प्रावधान बिना सुनवाई के दंडात्मक कार्रवाई की अनुमति देकर संविधान के अनुच्छेद 14, 21, 22 और 300ए का उल्लंघन करते हैं, तथा कानून के शासन और शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को कमजोर करते हैं। अल्पसंख्यकों और हाशिए पर पड़े समूहों पर पड़ने वाले असमान प्रभाव को उजागर करते हुए याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष न्यायालय से इन प्रावधानों को असंवैधानिक बताते हुए उन्हें रद्द करने का आग्रह किया है।

इंडिया गठबंधन एसआईआर का देश व्यापी विरोध करेगा

नयी दिल्ली, 04 नवंबर। इंडिया गठबंधन ने मंगलवार से शुरू हो रही दूसरे चरण की मतदाता गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया का विरोध करने की योजना बनायी है।

सूत्रों के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव के बाद एसआईआर को लेकर इंडिया गठबंधन ने देशव्यापी आंदोलन करने की तैयारी की है। इंडिया गठबंधन इसके विरोध में सामूहिक रूप से उच्चतम न्यायालय का फिर से रुख करने की भी तैयारी कर रहा है। सूत्रों के अनुसार बिहार विधानसभा चुनाव के बाद (एसआईआर) के मसले पर इंडिया गठबंधन की बैठक आयोजित की जायेगी, जिसमें उच्चतम न्यायालय से गुहार करने और देशव्यापी आंदोलन करने की रूपरेखा तैयार की जायेगी। फिलहाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कांग्रेस नेतृत्व के साथ मिलकर मतदाता सूची पुनरीक्षण मुद्दे पर संघर्ष को आगे बढ़ ाने पर सहमति दी है।

गौरतलब है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने 27 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसआईआर के दूसरे चरण की घोषणा की थी। उनके अनुसार, एसआईआर चार नवंबर से गणना चरण के साथ शुरू होगा और चार दिसंबर तक जारी रहेगा। चुनाव आयोग नौ दिसंबर को प्रारंभिक मतदाता सूची जारी करेगा और अंतिम सूची सात फरवरी को प्रकाशित की जायेगी।

गौरतलब है कि दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ , राजस्थान, अंडमान और निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, गोवा, गुजरात, केरल, पुड्डुचेरी, तमिलनाडु में मतदाता सूची का पुनरीक्षण किया जायेगा।

महाराष्ट्र में नगर परिषदों व पंचायतों के चुनाव 2 दिसम्बर को

मुंबई, 04 नवंबर। महाराष्ट्र के प्रदेश चुनाव आयोग ने मंगलवार को 246 नगर परिषदों और 42 पंचायतों के लिए मतदान की तारीख दो दिसंबर घोषित कर दी है। लेकिन आयोग ने 29 नगर निगमों के चुनाव की तारीख की घोषणा फिलहाल नहीं की है। राज्य चुनाव आयुक्त दिनेश टी. वाघमारे ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि मतगणना 03 दिसंबर को होगी और परिणाम 10 दिसंबर को घोषित किए जाएँगे। आयोग के मुताबिक, नामांकन प्रक्रिया 10 नवंबर से शुरू होगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 17 नवंबर है और 18 नवंबर को नामांकन पत्रों की जाँच की जाएगी। वाघमारे ने बताया कि इन स्थानीय निकायों में 6,859 सदस्यों और 288 अध्यक्षों के चुनाव के लिए मतदान होगा।

एनडीए का ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

प्रयासों के बावजूद, स्थानीय चुनावी माहौल अस्थिर और अनिश्चित बना हुआ है। एनडीए की सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी (एलजेपी), जिसे पटना ज़िले में चार सीटें दी गई हैं, के प्रदर्शन पर भी नज़दीक से नज़र रखी जा रही है। गठबंधन के भीतर से मिली सूचनाओं के अनुसार, पार्टी ज़मीनी स्तर पर संघर्ष कर रही है और संभव है कि उसे एक भी सीट न मिले, ऐसा नतीजा एनडीए की कुल सीटों की संख्या को और कम कर सकता है।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह बदलता हुआ रुख सत्ता विरोधी लहर, बेरोज़गारी की चिंताओं और राजद के तेजस्वी यादव के नेतृत्व वाले महागठबंधन के मजबूत संगठन से प्रभावित मतदाताओं की गहरी भावनाओं को दर्शाता है। अगर यह रुझान बना रहा, तो कई सीटों पर भाजपा तीसरे स्थान पर जा सकती है, जो उसकी पिछली बढ़त के बिल्कुल विपरीत होगा।

इन संकेतों को देखते हुए, भाजपा रणनीतिकार सत्ता बरकरार रखने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बचे-खुचे समर्थन पर अधिक भरोसा कर रहे हैं। शुरुआती रिपोर्टों में कड़ी टक्कर के संकेत मिलने के साथ, जनता दल (यूनाइटेड) पर एन.डी.ए. की निर्भरता और बढ़ती जा रही है। एक रणनीतिकार के शब्दों में, "तेजस्वी को सत्ता से बाहर रखना है, तो हमें नीतीश की ज़रूरत पहले से कहीं ज़्यादा है।" इस चुनाव में भाजपा के लिए दांव असामान्य रूप से ऊँचा है, न सिर्फ अपने गढ़ को बचाने के लिए, बल्कि बिहार जैसी अस्थिर राजनीति वाले राज्य में अपनी साख और ताकत बनाए रखने के लिए भी। पहले चरण के मतदान में अब कुछ ही समय बाकी है और बिहार एक ऐसे मुकाबले की तैयारी में है जो राज्य के सत्ता संतुलन को बदल सकता है और राष्ट्रीय राजनीति पर असर डाल सकता है।

पैसेंजर ट्रेन व ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

टक्कर के बाद ओवरहेड वायर और सिग्नल सिस्टम बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिससे ट्रेन परिचालन ठप हो गया है। स्थिति को देखते हुए कई ट्रेनों को रद्द या डायवर्ट किया गया है।

रेलवे ने मौके पर मेडिकल यूनिट और राहत दल भेज दिए हैं। हादसे के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन प्रशासन ने जांच के आदेश जारी कर दिए हैं।

रेलवे ने प्रत्येक मृतक के परिवार को 10 लाख, गंभीर रूप से घायल यात्रियों को पांच-पांच लाख तथा सामान्य रूप से घायल यात्रियों को एक-एक लाख की सहायता राशि देने की घोषणा की है।

बारह राज्यों में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

गणना अवधि आज से शुरू हो गई है और यह चार दिसंबर तक पूरे एक महीने तक जारी रहेगी।

27 अक्टूबर, 2025 तक मतदाता सूची में शामिल प्रत्येक मतदाता को एक विशिष्ट गणना प्रपत्र (ईएफ) उपलब्ध कराया जाएगा, जो आंशिक रूप से पहले से भरा होगा। सभी 12 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में ईएफ का वितरण शुरू हो चुका है और 100 प्रतिशत ईएफ छप चुके हैं।

एसआईआर प्रक्रिया को पूरा करने के लिए 5.3 लाख से अधिक बूथ स्तरीय अधिकारी (बीएलओ), 7.64 लाख बूथ स्तरीय एजेंट (बीएलए), 10,448 ईआरओ/एईआरओ और 321 डीईओ लगाये गये हैं।

'सड़क दुर्घटनाएं ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

में सड़क सुरक्षा नीति, 2017 अपनाई गई है और इसमें ब्लैक-स्पॉट प्रबंधन व यातायात निगरानी का भी प्रावधान है। इसके बावजूद प्रशासन यहां पर ओवरलोड वाहनों के अनधिकृत प्रवेश और लापरवाही से संचालन को रोकने में विफल रहा है।

याचिका में अदालत से आग्रह किया है कि जयपुर नगरपालिका सीमा के भीतर भारी वाणिज्यिक वाहनों के प्रवेश और संचालन को प्रतिबंधित किया जाए।

सभी एजेंसियों के संयुक्त प्रवर्तन अभियानों के जरिए कानूनी प्रावधानों का प्रभावी क्रियान्वयन हो। इसके अलावा राज्य सड़क सुरक्षा परिषद, पीएचईडी, जेडीए को निर्देश दिया जाए कि वे शहर की प्रमुख सड़कों की इंजीनियरिंग की ऑडिट करें और एक्सीडेंट वाले ब्लैक स्पॉट की पहचान करें व मरम्मत करे।

भूमिहार बिहार में जनसंख्या ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चुनावी गठबंधनों और प्रतिद्वंद्विताओं की जटिलताओं को समझने के लिए मजबूर हैं। जबकि अनंत सिंह और सूरज भान सिंह के बीच अंतिम सीधा टकराव दो दशकों से भी अधिक समय पहले हुआ था, राजनीतिक माहौल अब भी उनके बीच की दुश्मनी को कम नहीं कर पाया है।

यह चुनाव उनकी पहले की झड़पों में एक बदलाव लाते हुए, मतदान की लड़ाई की वापसी को दर्शाता है, जबकि पहले अक्सर बंदूकों से फैसले होते थे।

सूरज भान सिंह, जिनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं अब उनकी पत्नी, वीणा देवी के कंधों पर टिकी हैं, मोकामा में शक्ति के जटिल समीकरणों को उजागर करते हैं। सन् 1992 के एक हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा काटने के बाद, उन्होंने चुनावी प्रभाव फिर से हासिल करने के लिए अपनी पत्नी को मैदान में उतारा है। उनकी उम्मीदवारी न केवल उनके विरासत की निरंतरता है, बल्कि यह एक रणनीतिक कदम भी है, जो उनके समर्थकों के इतिहास और उनकी वफादारी का लाभ उठाने का प्रयास है। जब वे अनंत सिंह के खिलाफ प्रचार करती हैं, तो उनके दांव उतने ही व्यक्तिगत भी होते हैं, जितने राजनीतिक।

बिहार की राजनीति के रंग-बिरंगे क्षेत्र में, जहां जाति और समुदाय के प्रति लोगों की निष्ठा अक्सर विचारधारा पर हावी रहती है। लेकिन भूमिहार समुदाय इसका एक विचारणीय विरोधाभास प्रस्तुत करता है। भले ही भूमिहार केवल 2.9 प्रतिशत मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव के समीप आने के साथ ही भूमिहार तीव्र राजनीतिक दाँव-पेच के केन्द्र बन गये हैं। यह छीना-झपटी केवल संख्या के कारण नहीं है, यह प्रभाव, विरासत और राजनीतिक सपनों की जिंदा रहने की लड़ाई है।

बड़ी राजनीतिक पार्टियां, विशेषकर एनडीए और महागठबंधन, ऐसे समुदाय को लेकर इतना प्रयास क्यों करती हैं, जिसके वोट का हिस्सा 3 प्रतिशत से भी कम है? इसका उत्तर भूमिहारों की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता में छिपा हुआ है। पारंपरिक रूप से इन्हें एक उच्च जाति के रूप में देखा जाता है (जो लगभग ब्राह्मणों के समान मानी जाती है), और इनका बिहार की राजनीतिक परिदृश्य में महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है।

भूमिहारों के उत्पत्ति के बारे में एक मान्यता यह है कि वे ब्राह्मण थे, जिन्हें बौद्ध शासक अशोक महान के शासन में अनुदान स्वरूप भूमि प्रदान की गई थी। जब उन्होंने हिंदू धर्म को अपनाया, तब हिंदू पुजारियों ने उन्हें ब्राह्मणों से मामूली सा नीचा दर्जा दिया।

कुछ उन्हें ब्राह्मणों और राजपूतों का मिश्रण मानते हैं। भूमिहार एक पारंपरिक रूप से भू स्वामी जाति रही है और छोटी रियासतों और जमींदारियों पर उनका नियंत्रण रहा है, जैसे बेतिया, टेकरी, हठवा, तमुखी, शिवहर, पाकुर, महिषादल और महेशपुर, और उत्तर प्रदेश की वाराणसी। ब्रिटिश शासन के दौरान, भूमिहारों ने अधिकांश रूप से सेना में शामिल होकर एक सैन्य छवि बनाई।

भूमिहार समुदाय ने कई सृजनशील बुद्धिजीवियों को जन्म दिया, जैसे वीर रस परम्परा के राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, लेखक राहुल सांस्कृतायन, रामवृक्ष बेनीपुरी और ऐसे ही अन्य बहुत से साहित्यकार। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2 नवम्बर को पटना में दिनकर चौक से अपने रोड शो की शुरुआत की, और कवि दिनकर का यशोगान किया।

श्री कृष्ण सिंह, जो संविधान सभा के सदस्य और बिहार के पहले मुख्यमंत्री (1946 से 1961 तक) और एक भूमिहार नेता थे, की विरासत बहुत महत्वपूर्ण है, और यह सभी पक्षों को यह याद दिलाती है कि यह समुदाय चुनावी परिणामों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है।

सिंह के लंबे कार्यकाल में कई प्रभावशाली भूमिहार नेताओं का उदय हुआ, जिनमें महेश प्रसाद सिन्हा, कृष्णकांत सिंह, एलपी शाही, बसवन सिन्हा और कैलाशपति मिश्र शामिल हैं। कैलाशपति मिश्र (गुजरात के पूर्व गवर्नर) बिहार के एक बहुत प्रभावशाली भाजपा नेता थे।

इसी तरह, पूर्व केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. सी.पी. ठाकुर भी प्रभावशाली भूमिहार नेताओं में शामिल थे। आज भाजपा में शीर्ष भूमिहार नेता हैं, केन्द्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा।

भले ही ओबीसी नेताओं जैसे लालू प्रसाद और नीतीश कुमार ने 1990 से 2025 तक बिहार की राजनीति में दबदबा बनाया हो, भूमिहारी समुदाय ने नौकरशाही, शिक्षा, मीडिया, और पेशेवर क्षेत्रों, जैसे कानून, चिकित्सा आदि में अपनी छाप छोड़ी है। बिहार के प्रमुख ठेकेदार मुख्यतः भूमिहार ही हैं।

शिक्षा के क्षेत्र में भूमिहार कायस्थों और ब्राह्मणों से मुकाबला करते हैं। आक्रामकता में भूमिहार राजपूतों और यादवों से मुकाबला करते हैं। व्यापार में भूमिहार बनियों से मुकाबला करते हैं। वे राजनीति में भी हावी हैं, राजीव रंजन सिंह (उर्फ लल्लन सिंह, प्रमुख जेडीयू नेता और केन्द्रीय पंचायतीराज, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री), जो पीएम मोदी के रोड शो में उनके साथ थे, एक प्रमुख भूमिहार नेता हैं।

इसी तरह, पूर्व कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह भी भूमिहार हैं। लल्लन सिंह, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दशकों पुराने करीबी दोस्त हैं। जब 2005 में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो पटना में एक प्रसिद्ध कहावत थी "ताज नीतीश को, राज भूमिहार को।"

भूमिहार बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के हर हिस्से में फैले हुए हैं, लेकिन वे मध्य बिहार के तीन केन्द्रीय क्षेत्रों में प्रमुख रूप से हावी हैं: अरवल, जहानाबाद (पुराना गया और पुराना शाहाबाद क्षेत्र), मोकामा और मुंगेर क्षेत्र, और बेगूसराय, लखीसराय और बरैया क्षेत्र। समस्तीपुर के मिथिलांचल जिलों में भूमिहार ब्राह्मणों से वैवाहिक रिश्ते बनाते हैं और उन्हें "दो-गामिया" समुदाय के रूप में जाना जाता है।

मोकामा "जंगल राज" के रणवीर सेना काल की एक शक्तिशाली पुनः गूंज है।

1990 के दशक के बाद, चुनावी राजनीति में उनके प्रभाव में गिरावट आने के बाद, बहुत से भूमिहार रणवीर सेना, जो 1994 में एक नागरिक सेना (मिलिशिया) के रूप में स्थापित की गई थी, से जुड़ गए थे। रणवीर सेना का नाम 19वीं सदी के एक शक्तिशाली भूमिहार नेता रणवीर चौधरी के नाम पर रखा गया था। इस मिलिशिया ने 1990 के दशक के अंत में लाल सेना (एक सशस्त्र माओवादी संगठन) पर जहानाबाद, मखदूमपुर और औरंगाबाद क्षेत्रों में सशस्त्र हमले किए थे।

रणवीर सेना द्वारा लक्ष्मणपुर बाठे सहित, अन्य अनेक स्थानों पर नरसंहार किए गए थे। बाद में सेनारी में लाल सेना ने बहुत से भूमिहारों का नरसंहार किया। आज मोकामा में हो रही हिंसा रणवीर सेना के "जंगल राज" के दौर की शक्तिशाली पुनर्गूंज है।

राहुल गाँधी की, फ्रैश, ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जिलाध्यक्ष नहीं चाहते, जो उनके प्रभाव क्षेत्र में फिट न बैठते हों।

सिफारिश किए गए नामों में प्रमोद सिसोदिया (चित्तौड़गढ़), सबनम गोदारा (हनुमानगढ़) और पुष्पेन्द्र भारद्वाज (जयपुर) शामिल हैं।

पार्टी की ओर से अभी औपचारिक आदेश जारी नहीं हुए हैं, लेकिन स्थानीय कार्यकर्ताओं का कहना है कि संगठन को स्वच्छ और विश्वसनीय बनाने की पार्टी की प्रतिबद्धता के संदर्भ में चयनित नामों की जांच की जानी चाहिए।

एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स ( ) पोर्टल के अनुसार, भारद्वाज के हलफनामे में निम्नलिखित मुकदमों का उल्लेख है:

एफआईआर संख्या 1129/2008, सीआईएस संख्या 20789/14, एसीएमएम संख्या 9, जयपुर-1 - आईपीसी की धारा 188 (लोक सेवक द्वारा जारी आदेश की अवज्ञा), मामला लंबित।

एफआईआर संख्या 155/2001, केस संख्या 321/2002, एसीएमएम संख्या 9, जयपुर - आईपीसी की धाराएं 147, 148, 149, 452, 427 (दंगा व संबंधित अपराध)। इसमें उन्हें दोषी ठहराया गया था, लेकिन परिवीक्षा अधिनियम के तहत रिहा किया गया; अपील अब भी लंबित है।

भारद्वाज दो बार सांगानेर विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार रहे हैं, लेकिन दोनों बार 50,000 से अधिक वोटों से हार चुके हैं। पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना है कि उनकी डिप्टी सीएम और भाजपा नेता प्रेमचंद बैरवा से नज़दीकी हितों के टकराव की स्थिति पैदा करती है।

पिछले साल वायरल हुए एक वीडियो में भारद्वाज के बेटे और बैरवा के बेटे को पुलिस वाहनों के साथ खुली जीप में घूमते हुए दिखाया गया था, जिससे सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग को लेकर काफी आलोचना हुई। बाद में जारी एक और वीडियो में भारद्वाज ने इस घटना का बचाव किया, बजाय निंदा करने के। यह मामला राष्ट्रीय मीडिया में भी प्रमुखता से छपा था।

हनुमानगढ़ और चित्तौड़गढ़ में जमीनी कार्यकर्ताओं ने सबनम गोदारा और प्रमोद सिसोदिया के नामों पर भी आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि इनकी स्थानीय साख और कार्यशैली पर पहले से सवाल उठते रहे हैं। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि औपचारिक नियुक्ति से पहले इन सभी के पृष्ठभूमि की जांच बेहद जरूरी है।

जयपुर जिला (शहरी) कांग्रेस कमेटी के कुछ सदस्यों ने एआईसीसी नेतृत्व को ज्ञापन देकर मांग की है कि जिलाध्यक्ष पद के उम्मीदवारों की जांच की जाए कि उनके खिलाफ कोई कानूनी मामला लंबित न हो और न ही कोई हितों का टकराव हो।

जयपुर के एक कार्यकर्ता ने कहा, राहुल गांधी जी के संगठन सृजन अभियान का उद्देश्य एक पारदर्शी संगठन बनाना है। और जिनके खिलाफ विवाद या आपराधिक रिकॉर्ड हैं, उन्हें जिलाध्यक्ष नहीं बनाया जाना चाहिए।

राजस्थान पीसीसी कार्यालय की ओर से जवाब मिला कि अंतिम सूची केवल पृष्ठभूमि जांच के बाद ही जारी की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस समय "संगठन सृजन अभियान" के तहत राजस्थान में अपने जिला इकाइयों का पुनर्गठन कर रही है। राज्य नेतृत्व का कहना है कि यह पहल जमीनी कार्यकर्ताओं को सम्मान देने और आगामी नगर निकाय व पंचायत चुनावों से पहले पार्टी की साफ छवि पेश करने के लिए की जा रही है।

एस आई भर्ती ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

राजकुमार यादव की जमानत याचिका को खारिज किया है। अदालत ने आरपीएससी के सदस्य रहे बाबूलाल कटारा के रिश्तेदार राहुल कटारा, दलाल रविन्द्र सिंह, असफल अभ्यर्थी नेहा, नैतिक, ऋद्धि, भरत और डमी कैंडिटेड्स अशोक सिंह व राधिका को जमानत दी है। गौरतलब है कि एसओजी ने मामले में अपने बेटे भरत यादव के लिए पेपर खरीदने के आरोप में राजकुमार यादव को गिरफ्तार किया था। उसका बेटा भरत भर्ती की लिखित परीक्षा में पास हो गया था, लेकिन इसके बाद हुई दक्षता परीक्षा में वह फेल हो गया था।

मार्डन मीडिया, बीकानेर के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा वतन प्रेस, कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 35214/79, जयपुर कार्यालयः सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोनः 2372634, 4103333-34, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोनः 2386031, 2386032,फैक्सः0744-2386033, उदयपुर कार्यालयः आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोनः 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालयः-राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोनः 2627612, फैक्सः0145-2624665, जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोनः 226422,226423, फैक्सः 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोनः 230200, 230400, फैक्सः 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्सः 01562-256908